राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 532/2016/उदयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हमेरजी भीमराज, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी अनुपस्थित।

दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 27/VAT/15–16/Udaipur में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–II, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2015–16 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55, 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश का अध्ययन किया गया।

3. इस प्रकरण में व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 21.01.2010 को किया गया था एवं व्यवहारी के विरूद्ध करवंचना का अभियोग बनाते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 07.08.2012 को आदेश पारित कर कुल मांग रूपये 13,87,686/– कायम की गयी थी परन्तु उस मांग को अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.04.2013 से अपास्त कर पुनः कर निर्धारण करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। उस क्रम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 01.04.2015 को आदेश पारित किया गया, परन्तु उक्त आदेश पारित करने से

लगातार.....2

14/12/17

पूर्व ही दिनांक 16.12.2013 को व्यवहारी की मृत्यु हो गयी थी। ऐसी स्थिति में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए जो पुनः आदेश पारित किया गया था उसमें कर एवं ब्याज के अलावा रूपये 7,11,556/– की शास्ति आरोपित की गयी थी। उस आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई परन्तु व्यवहारी की मृत्यु आदेश पारित किये जाने से बहुत पूर्व हो जाने की स्थिति में एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश **कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम अमरचंद एन. श्रॉफ सिविल अपील संख्या 15 से 19/1962 आदेश दिनांक 23.10.1962** एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **याचिका संख्या 1410/1977 वेदप्रकाश नारंग बनाम कमिश्नर ऑफ वैल्थ टैक्स आदेश दिनांक 12.11.1987** के निर्णयों के आलोक में व्यवहारी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उत्तराधिकारियों को विधिवत् सूचना–पत्र दिये बिना जो शास्ति आरोपित की गयी थी।उसे अपास्त किया गया परन्तु कर एवं ब्याज को कायम रखा गया था। चूंकि हमारे समक्ष राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील केवल शास्ति से सम्बन्धित है एवं कर एवं ब्याज के मामले में व्यवहारी की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारियों को सूचना–पत्र दिये बिना एवं व्यवसायी की मृत्यु होने के तथ्यों के अधीन अपीलीय अधिकारी द्वारा करवंचना से सम्बन्धित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होने से राजस्व की अपील इस बिन्दु पर खारिज की जाती है।

4. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

14/12/17

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य